समाहरणालय,दरभंगा ।

(गोपनीय प्रशाखा)

आदेश ।

पंचायत आम चुनाव–2016 के अन्तर्गत जिले में अब नौ चरण में चुनाव कराये जाने हेतु अवशेष है । प्रथम चरण के चुनाव में जो आवंटित कार्य जोनल पदाधिकारी/सेक्टर दण्डाधिकारी / सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी/ सभी निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा किए गए थे उस कार्य के अतिरिक्त प्रथम चरण के अनुभव के आधार पर निम्न कार्यों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सम्बन्धित पदाधिकारी करेंगें ।

1–निर्वाची पदाधिकारी–सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यः–

(i) मतदान दल के बैठने की व्यवस्था / मतदान कर्मियों का योगदान/ अग्रिम भुगतान/सामग्री आपूर्ति/ मतपेटिका आपूर्ति/ वाहन का लॉगबुक/ईधन कूपन (दूरी के आकलन के हिसाब से) एक ही स्थान पर करेंगें । इनके प्रस्थान के पूर्व एक संक्षिप्त ब्रिफिंग भी करेगें।

(ii) P.C.C.P दल के बैठने की व्यवस्था / योगदान/अग्रिम भुगतान/ मतपत्र प्राप्ति/पेपर सील की प्राप्ति/ वाहन का लॉगबुक, ईधन कूपन दूरी के आकलन के हिसाव से उनके टेबुल पर ही उपलब्ध करायेगें । उनके प्रस्थान के पूर्व 2.00 बजे संयुक्त ब्रिफिंग जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक करेंगें ।

(iii) पोलिंग पार्टी को ट्रैक्टर, P.C.C.P दल को पीकपभान / थाना को स्टैटिक फोर्स के लिए आवश्यकतानुसार वाहन, लॉगबुक ,ईधन सहित मतदान के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें । किसी भी परिस्थिति में वाहन की कमी नहीं होनी चाहिए तथा डीजल की आपूर्ति उसके रूट के निकटतम पेट्रोल पम्प से करेंगें ।

(iv) मतपत्र का विखंडीकरण मतदान केन्द्रवार करके P.C.C.P वार अलग कर झोला में रखना सुनिश्चित करेगें । P.C.C.P दण्डाधिकारी को उसके सामग्री के साथ उसके क्षेत्र में निर्विरोध/ रिक्त पद जिस पर चुनाव नहीं होना है, उसकी सूची तैयार कर डाल देगें । नोडल पदाधिकारी मतपत्र कोषांग मतदान केन्द्रवार मतपत्र विखंडीकरण कराते हुए P.C.C.P दण्डाधिकारी के हिसाब से अलग–अलग पैकेट तैयार कराकर उसे झोला में रखाते हुए झोला के उपर मोटा मार्कर से P.C.C.P संख्या अंकित कराते हुए डिस्पैच के पूर्व तैयारी का अनुश्रवण करेंगें तथा आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करेगें ।

(V) नोडल पदाधिकारी वाहन कोषांग प्रखंड विकास पदाधिकारी से वाहन उपलब्धता की समीक्षा स्वयं दो दिन पूर्व करके वाहन घटने की स्थिति में वाहन उपलब्ध कराने में सहयोगं करेंगें ।

(Vi) नोडल पदाधिकारी,सामग्री कोषांग प्रखंड मुख्यालय में पोलिंग पार्टी को सामग्री वितरण के दिन उपस्थित रहकर सामग्री शत प्रतिशत चेक लिस्ट के हिसाब से आपूर्ति का अनुश्रवण करेंगें तथा घटने की स्थिति में सामग्री आपूर्ति करायेगें ।

(vii) नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषाग- मतदान कर्मियों / P.C.C.P दल के योगदान के दिन प्रखंड में रहकर योगदान का अनुश्रवण कर आवश्यकतानुसार सहयोग करेगें ।

(viii) नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग- मंतदान कर्मियों/ P.C.C.P दल को प्रस्थान के पूर्व चुनाव से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी से अवगत करायेंगें ।

(ix) विधि व्यवस्था कोषांग के नोडल पदाधिकारी मतदान के पूर्व एवं मतदान के दिन विधि व्यवस्था सम्बन्धी तैयारी की समीक्षा करायेंगें ।

(xi) मतदान के दिन सभी सेक्टर/जोनल दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में 6 बजे पूर्वाह्न से मतपेटिका क्षेत्र से निकल जाने तक भ्रमणशील रहेंगें तथा सभी शील्ड मतपेटिका बज्रगृह में पहुँच जाने के बाद ही वरीय पदाधिकारी को सूचना देने के उपरान्त मुख्यालय छोड़ेंगें । किसी भी परिस्थिति में जोनल/सेक्टर दण्डाधिकारी मतदान के दिन अपने क्षेत्र के बाहर बिना अधोहस्ताक्षरी या वरीय पदाधिकारी के आदेश के नहीं जायेगें । भोजन इत्यादि अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण के कम में ही अपने किसी मतदान भवन पर करेंगें । यदि कोई अप्रिय घटना सम्भावित हो या घटित हो तो तुरंत वरीय पदाधिकारी/नियंत्रण कक्ष को सूचित करना सुनिश्चित करेंगें । मतदान प्रारंभ कराना एवं मतपेटिका सुरक्षित बज्रगृह तक लाना सेक्टर दण्डाधिकारी की प्राथमिकता होगी ।

ह0/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-
सह-जिला पदाधिकारी,दरभंगा

ज्ञापांक 1562 / स्था0 दिनांक 26-04-2016

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,दरभंगा जिला/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी,दरभंगा जिला/सभी नोडल पदाधिकारी,/वरीय पुलिस अधिक्षक,दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-
सह-जिला पदाधिकारी,दरभंगा